

गाँधी के सत्याग्रह एवं असहयोग आन्दोलनों में महिलाओं की सहभागिता

अजीत कुमार त्रिपाठी^{1a}

^aएसोसियेट प्रोफेसर, राजनीति विज्ञान विभाग, पं जवाहर लाल नेहरू पी0जी0 कालेज, बांदा, उ0प्र0, भारत

ABSTRACT

मोहनदास करमचन्द गाँधी दक्षिणी अफ्रीकी संघर्ष के पश्चात् 1915 में भारत लौटे और इसी के साथ भारतीय स्वाधीनता संघर्ष में एक नवीन युग का सूत्रपात हुआ। गाँधी ने अनुभव किया कि स्वाधीनता आन्दोलन को व्यापक एवं जन-आन्दोलन में परिवर्तित करना है तो इसमें महिलाओं की सक्रिय सहभागिता आवश्यक है। उनका मानना था कि जब-तक समाज के अर्द्धांग का सक्रिय प्रतिनिधित्व नहीं होगा यह अपनी पूर्णता प्राप्त न कर सकेगा। इसी परिप्रेक्ष्य में गाँधी द्वारा चलाये गये सत्याग्रह एवं असहयोग आन्दोलनों में महिलाओं की सक्रिय भूमिका को रेखांकित करने का एक प्रयास है।

KEY WORDS: गाँधी, सत्याग्रह, असहयोग, महिला भागीदारी

गाँधी की स्वीकारोक्ति कि यदि स्वाधीनता संघर्ष में पुरुषों के साथ महिलाओं की सहभागिता हो जाय तो कार्य आसान हो जायेगा। फलतः उन्होंने अपने विभिन्न राजनैतिक कार्यक्रमों में स्त्री जाति का आह्वान किया। गाँधी के नेतृत्व की ऐसी अदम्य-क्षमता थी कि समाज के सभी वर्गों कि स्त्रियाँ, चाहे वे शिक्षिता अथवा अशिक्षिता, चाहे वे धनी हो अथवा गरीब, सभी सार्वजनिक रूप से प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष माध्यम से अपना सहयोग करने को तत्पर हो गयी। सम्पूर्ण विश्व में स्वतंत्रता संग्राम में इस प्रकार की स्त्रियों की भागीदारी कहीं नहीं पायी जाती है जिस प्रकार भारतीय स्वाधीनता आन्दोलन में गाँधी के कुशल नेतृत्व में पायी गयी। जैसा कि शेखर बंधोपाध्याय ने गाँधीवादी आन्दोलन में महिलाओं की सहभागिता को उद्घृत करते हुए स्पष्ट किया कि, आर्दश भारतीय नारी की धारणा प्रस्तुत करते हुए गाँधी ने स्त्रियों की यौनवृत्ति को नकारकर मातृत्व की बजाय बहनत्व को ध्यान का केन्द्र बनाया। स्त्रियाँ जो स्वार्थहीन बलिदान दे सकती थीं, उनकी शक्ति का अनुभव दक्षिण अफ्रीका में कर लिया था और उसे राष्ट्र की सेवा में लगाने का फैसला किया था। लेकिन स्त्रियों के लिए उनका आह्वान रूपकों से भरी एक भाषा में था, जो स्त्रीत्व सम्बन्धी परम्परागत जीवन मूल्यों के लिए विध्वंसक तो नहीं लगती थी। सीता, दम्यन्ती और द्रौपदी उनकी राय में भारतीय स्त्रियों के लिए आर्दश पात्र थीं। भारतीय पुराण ग्रन्थों से लिये जाने के बावजूद इन प्रतिकों में पुनरचना करके उनके नये अर्थ किये गये। इन स्त्रियों को अपने पतियों की दासियाँ न बताकर अत्यन्त पुण्यात्मायें और अपने परिवार, देश और समाज के लिये सर्वोच्च बलिदान दे सकने में समर्थ कहा गया। विशेषतः महत्वपूर्ण था सीता का उदाहरण, क्योंकि तब अंग्रेजों को आसानी के साथ असुर राज रावण का पर्याय बतलाया जा सकता था। लेकिन मुस्लिम स्त्रियों को सम्बोधित करते हुये गाँधी सावधानी के साथ

रामायण के ऐसे हवाले देने से बचते रहते थे और उनसे सिर्फ अपने देश और इस्लाम के लिये बलिदान देने का आग्रह करते थे, उन्होंने उस चीज को स्वीकार किया, जिसे वह स्त्री-पुरुष के बीच "स्वाभाविक श्रम-विभाजन" कहते थे और समझते थे कि घर देखना स्त्रियों का कर्तव्य है। लेकिन वह अपने लिये निर्दिष्ट क्षेत्रों से भी कटाई करके, विदेशी कपड़ों और शराब की दुकानों पर धरने देकर और पुरुषों को शर्म दिलाकर कर्म के लिये तैयार करके राष्ट्र की सेवा कर सकती थीं। उनकी नजर में स्त्री और पुरुष बराबर थे पर उनकी भूमिकायें अलग-अलग थी।(वन्दोपाध्याय,2007 पृ0423-424)

वस्तुतः गाँधी जी का उद्देश्य मात्र भारत को अंग्रेजी शासन से ही मुक्त कर देने तक ही सीमित नहीं था वरन उनका उद्देश्य तो सभी प्रकार की कुरीतियों, कुप्रथाओं के शोषण एवं दमन से समाज को मुक्त करना भी था। गाँधी ने कहा था कि स्वराज तभी आयेगा जब 'अबला' कही जाने वाली स्त्रियाँ 'सबला' बन जायें। मधुकेश्वर ने गाँधी के महिला संबंधी विचारों का विश्लेषण करते हुए स्पष्ट किया कि गाँधी जी ने महिलाओं को सार्वजनिक जीवन में एक नया सम्मान, एक नया विश्वास और एक नयी आत्मछवि दिलाई। गाँधी ने महिलाओं को सुधार की वस्तु के रूप में नहीं देखा, जिसके साथ ज्यादा मानवतावादी व्यवहार किया जाये बल्कि एक जागरूक नागरिक और अपने भाग्य के निर्माता के रूप में देखा जो स्वयं के साथ राष्ट्र का भी भाग्य बदलेगी।(किश्वर,1985)

गाँधी का सत्याग्रह दर्शन सत्य-अहिंसा का दर्शन है। सत्याग्रह शब्द स्वयं में संघर्ष का घोटक है जो किसी अन्याय, शोषण आदि के विरुद्ध है। सम्पूर्ण मानव इतिहास में गाँधी को छोड़कर किसी दूसरे ने इसका प्रयोग इतने व्यापक क्षेत्र में कभी नहीं किया। गाँधी का सत्याग्रह सत्य की विजय हेतु किये जाने वाले नैतिक-अहिंसात्मक संघर्ष का नाम है जिसका प्रयोग समाज

परिवर्तन की पद्धति के रूप में स्वीकार किया गया है। गाँधी ने स्त्रियों से अपेक्षाकृत अधिक योगदान की अपेक्षा की है। स्वयं गाँधी के शब्दों में, इस महान समस्या के समाधान में मेरा योगदान इस बात में निहित है कि मैंने जीवन के हर क्षेत्रों में चाहे वह व्यक्ति से सम्बन्धित हो या राष्ट्रों से सत्य और अहिंसा को के स्वीकारार्थ प्रस्तुत किया है। मुझे यह आशा रही है कि इसमें स्त्रियाँ निर्विवाद रूप से नेतृत्व करेंगीं और इस प्रकार मानव के विकास में अपना उचित स्थान प्राप्त करके अपनी हीनता की भावना का त्याग करेंगीं। (सम्पूर्ण गाँधी वांगमय, भाग 71. पृ0241-242)

स्पष्ट है कि गाँधी ने सत्य व अहिंसा पर आधारित सत्याग्रह का जो कार्यक्रम बनाया उसका नेतृत्व स्त्रियों के हाथ में दिया। उनका मानना था कि सत्य एवं अहिंसा जैसे ब्रतों के पालन में जिस प्रकार की कष्ट सहने की प्रवृत्ति एवं त्याग की आवश्यकता है, वह स्त्रियों से अधिक और किसी में नहीं है। गाँधी के शब्दों में स्त्री अहिंसा की अवतार है। अहिंसा का तात्पर्य असीम प्रेम है और असीम प्रेम का अर्थ कष्ट सहने की असीम क्षमता है। पुरुष की जननी स्त्री के अतिरिक्त इस क्षमता का अधिक से अधिक परिचय दूसरा कौन देता है? वह इस क्षमता का परिचय तब देती है जब वह शिशु को नौ मास तक अपने पेट में रखकर उसका पोषण करती है और उसमें उसे जो कष्ट होता है उसमें आनन्द का अनुभव करती है। प्रसव वेदना से बड़ी और कौन सी पीड़ा हो सकती है लेकिन सृजन के आह्लाद में वह उस वेदना को भूल जाती है। शांति के अमृत के लिये तरसते युद्धरत विश्व को शांति की कला सिखाना स्त्री का कार्य है। वह सत्याग्रह की नेता बन सकती है क्योंकि इसके लिये पोथियों से प्राप्त होने वाले ज्ञान की नहीं बल्कि कष्ट सहने और श्रद्धा से प्राप्त होने वाले हृदय की आवश्यकता होती है। (वही)

उपरोक्त कथन में गाँधी ने स्वीकार किया है कि स्त्रियाँ सत्याग्रह कार्यक्रम की मूक नेत्रियाँ हो सकती हैं क्योंकि सत्याग्रह का मर्म कष्ट सहने में है और स्त्रियों ने तो कष्ट सहने की अदम्य शक्ति प्रकृति से प्राप्त की है। गाँधी का मानना है कि स्त्रियाँ यदि स्वयं में व्याप्त 'शक्ति' को पहचान लें तथा स्वयं को पुरुष दासता से मुक्त कर लें तो राष्ट्र की ही नहीं वरन् विश्व शांति की स्थापना में तदुपरान्त मानवता की स्थापना में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती हैं। गाँधी जी के इसी आह्वान पर सत्याग्रह की लड़ाई में लाखों स्त्रियों ने नेतृत्व की महत्वपूर्ण भूमिका निभाई तथा देश को स्वाधीन करने में आवश्यक योगदान दिया। मीटू बहन (पारसी बहन) का उदाहरण यहाँ पर यथेष्ट होगा जिन्होंने गाँधी जी का मार्गदर्शन प्राप्त कर मद्यनिषेध कार्यक्रम का महत्वपूर्ण कार्य किया।

मीटू बहन ने शराब पीने वालों की ऐसी दुर्दशा देखी है। उसे देखकर उनका हृदय पिघला, उन्होंने अपना घर-बार छोड़ा माँ का स्नेह छोड़ा और वे मद्य-निषेध के इस कार्य में जुट गईं। किन्तु एक अकेली पारसी बहन के त्याग से यह काम पूरा नहीं हो

सकता। उसके लिए तो हमें हर-एक पारसी स्त्री-पुरुष का हृदय छूना पड़ेगा। (सम्पूर्ण गाँधी वांगमय भाग 43 पृ0179-181)

मद्य-निषेध जैसे समाज-सेवा के सभी कार्य गाँधी स्त्रियों को देना चाहते थे क्योंकि उनका मानना था कि किसी नियम-कानून के निर्माण से ऐसी सामाजिक बुराईयों को दूर नहीं किया जा सकता बल्कि इसके लिए तो लोगों के हृदय में प्रवेश करके उनकी मनः स्थिति को परिवर्तित करने की आवश्यकता है, जिसमें अदम्य सहनशीलता एवं सहजता की आवश्यकता है और ऐसे कार्यों को करने में स्त्रियाँ ज्यादा उपयुक्त एवं निपुण हैं। गाँधी के शब्दों में, मैं इस काम में विशेषकर आप बहनों की सहायता मांगता हूँ। मैं चाहता हूँ कि बहनें शराब पीने वालों के घरों में जाये और उनसे शराब छोड़ने की प्रार्थना करें। मैंने मुक्ति सेना (सालवेशन आर्मी) की बहनों को ऐसे काम करते हुए देखा है। यदि वे यह काम कर सकती हैं तो भारतीय बहनें क्यों नहीं कर सकती? क्या भारत की हिन्दू, मुसलमान या पारसी बहनें उनकी तुलना में किसी प्रकार कम हैं? क्या जो लोग शराब की कुरुक्षेत्र में जकड़े हुए हैं, वे उनके भाई नहीं हैं? यदि मैं शराब पीने वाले को समझाने जाऊँ, तो वे मुझसे या मेरे जगह कुछ अन्य लोग हो, तो वे उनसे झगड़ा करेंगे। किन्तु किसी स्त्री का अपमान या अनादर वे नहीं कर सकते। वे इतने जड़ नहीं हैं कि आपकी बात न समझें। आपके सम्पर्क में आते ही वे होश में आ जायेंगे, अपना कदम पीछे हटायेंगे और यह देखकर कि आपकी आँखों में प्रेमाभूत भर रहा है, उन्हें ऐसा लगेगा कि यह तो सती या योगिनी ही हमारे पास आयी है; और वे लज्जित होकर शराब का त्याग कर देंगे। जिस समय आप बहनें इन शराब पीने वालों की स्त्रियों, उनके बालकों आदि को जानेगी, उनके यहाँ-वहाँ मारे-मारे फिरने वाले अशिक्षित बालकों से स्नेह करेंगी और देखेगी कि उनके ऊपर आकाश और धरती के सिवाय कुछ नहीं है, किन्तु फिर भी वे शराब पीते हैं, तब आप इस पवित्र कार्य को करने के लिये प्रेरित हुए बिना न रहेंगी। (वही)

अस्तु, गाँधी ने 'स्त्री शक्ति' को अभिप्रेरित किया और बताया कि वे किस प्रकार अपने भीतर विद्यमान स्त्रीयोचित गुणों का किस प्रकार विस्तार कर सकती हैं। गाँधी के अनुसार व्यक्ति का कर्तव्य स्वधर्म अथवा स्वभाव के अनुकूल होना चाहिये, तभी व्यक्ति अपने कर्तव्य के प्रति सचेष्ट होगा और उस कार्य को प्राप्त में उसे और साथ ही सम्पूर्ण समाज को आनन्द भी मिलेगा। चूँकि स्त्रियों में प्रेम एवं संवेदनशीलता जैसे गुण पुरुषों की अपेक्षा कहीं अधिक हैं। अतः स्त्रियों को अपने इन्हीं गुणों के अनुरूप समाज के विकास में एवं उसके परिवर्तन में भी अपना योगदान देना चाहिये। अहिंसात्मक सत्याग्रह आन्दोलनों में स्त्रियों के प्रतिनिधित्व की पुष्टि बार-बार गाँधी के कथनों में मिलती है।

इस अहिंसक युद्ध में स्त्रियाँ पुरुषों से ज्यादा भाग ले सकती हैं, क्योंकि स्त्रियाँ तो त्याग और दया की और इसलिये अहिंसा की मूर्ति हैं। जहाँ पुरुष अहिंसा धर्म को केवल बुद्धि से ही

त्रिपाठी: गांधी के सत्याग्रह एवम् असहयोग आन्दोलनों में महिलाओं की सहभागिता

समझते हैं, वहाँ स्त्रियों के लिये वह एक ऐसी वस्तु है, जिसे वह जन्म से ही जानती हैं। पुरुष तो बहुत थोड़ी जिम्मेदारी उठाकर ही अपने को कृत कार्य मान लेता है, किन्तु बहनों को तो पति की, बालकों की तथा परिवार के अन्य सभी सदस्यों की सेवा करनी पड़ती है।(वही)

12 मार्च, 1930 को गाँधी जी के प्रसिद्ध दांडी मार्च के साथ सविनय अवज्ञा आन्दोलन शुरू हुआ। साबरमती आश्रम से चलते हुए वह नमक बनाकर नमक कानून को तोड़ने के लिये गुजरात के समुद्र तट पर स्थित दांडी गांव 79 स्वयंसेवकों के साथ पहुंचे, नमक सत्याग्रह आन्दोलन के रूप में यह कार्यक्रम प्रारम्भ हुआ। इस कार्यक्रम व आन्दोलन के प्रदर्शन, रैलियों व अन्य कार्यों में महिलायें भी हिस्सा लेना चाहती थीं, किन्तु गाँधी ने उन्हें ऐसा करने से मना किया, क्योंकि उन्हें यह संशय था कि कहीं ब्रिटिश भारतीय पुरुषों को कायर न समझें, जो महिलाओं के पीछे छिपे रहते हैं। इसके विरोध में कई महिलाओं ने नाराजगी भी दिखाई एवं गाँधी से पूछा भी कि क्यों वह महिलाओं को आन्दोलन में शामिल नहीं करना चाह रहे हैं? फिर भी जहाँ से भी महात्मा गाँधी का काफिला गुजरा, जिन सभाओं में गाँधी ने अपनी बात रखी, उनमें महिलायें अधिक संख्या में शामिल हुईं। पुलिस के एक प्रतिवेदन में बताया गया कि जहाँ इस तरह की सभायें हुईं वहाँ हजारों की संख्या में महिलायें थीं। एक उदाहरण के अनुसार भीड़ में अनुमानतः 10 हजार महिलाएँ शामिल थीं।(गेटालडिन, 1996 पृ0132)

सेवा, श्रद्धा, त्याग, दया इत्यादि नारी गुणों की बार-बार व्याख्या सत्य एवं अहिंसा के परिप्रेक्ष्य में करके गाँधी ने नारी शक्ति का आह्वान किया, परिणामतः सर्वप्रथम 'नमक सत्याग्रह' में असंख्य महिलाओं के योगदान से सभी परिचित हैं। अनेक अवरोधों एवं रुकावटों के बीच प्रत्येक प्रकार के हिंसात्मक दुराग्रहों के विरुद्ध सत्याग्रह करते हुए उन्होंने अपनी सहज नेतृत्व क्षमता का प्रदर्शन किया। गाँधी की दृष्टि में नमक कानून की अवज्ञा के पीछे मूल भावना यह थी कि नमक जीवन के लिये अनिवार्य है और प्रत्येक महिला इसे खरीदती व प्रयोग करती है। अतः नमक कानून के उल्लंघन से ब्रिटिशों की अवज्ञा कर भारतीय महिलाओं द्वारा दैनिक जीवन में स्वतन्त्रता की घोषणा करने का एक तरीका होगा। इस कार्य से रसोई घर राष्ट्र से तथा घरेलू क्षेत्र सार्वजनिक और राजनैतिक क्षेत्र से जुड़ जायेगा।

.....भारत की स्त्रियों को देश सेवा का दुर्लभ अवसर मिला है। नमक सत्याग्रह के कारण वे निकल आयीं थी और तभी स्पष्ट हो गया था कि वे भी पुरुषों के बराबर ही देश की सेवा कर सकती हैं। उससे ग्रामीण स्त्रियों को वह गौरव मिला जो उन्हें पहले कभी प्राप्त नहीं हुआ था। इसमें हर वर्ग, हर समुदाय की महिला ने अपनी भूमिका निभाई।(सम्पूर्ण गांधी वांगमय भाग 70 पृ0427)

गाँधी वह प्रथम राजनैतिक नेता थे, जिन्होंने स्त्री शक्ति को पहचाना तथा सभी संघर्षों में बार-बार उनसे योगदान की अपील की। रौलेट विधेयक (1919) के विरुद्ध गाँधी द्वारा स्त्रियों से किया गया निवेदन उनकी महती भूमिका को रेखांकित करता है,

“मैं भारतीय महिलाओं से निवेदन करना चाहता हूँ कि वह रौलेट विधेयकों के विरुद्ध चलने वाले संवैधानिक संघर्ष में पुरुषों का हाथ बटायें, जिस प्रकार सभी साधनों का आधार, शरीर, निष्क्रिय होने पर कोई भी आदमी ठीक से काम नहीं कर सकता, इसी तरह यदि भारतीय महिलायें निष्क्रिय बनी रहें और देश का अर्द्धांग निष्क्रिय रहा, तो देश ठीक ढंग से कोई काम नहीं कर सकेगा। इसलिये मेरा निवेदन है कि भारतीय बहनों को एक बड़ी संख्या में सत्याग्रह आन्दोलन में भाग लेना चाहिये।(सम्पूर्ण गांधी वांगमयभाग 15 पृ0195)

गाँधी के नेतृत्व में महिलाओं द्वारा अनेक सत्याग्रह के उदाहरण मिलते हैं, जब उन्होंने संवैधानिक संघर्षों के अथवा अंग्रेजी सरकार के बेबुनियाद तथा धर्म विरोधी नियमों के विरुद्ध सत्याग्रह किया और लक्ष्य प्राप्त किया। ऐसी ही एक घटना ट्रान्सवाल इण्डियन विमेन्स एसोशिएशन के सम्बन्ध में दृष्टव्य है। जहाँ समिति ने 'सर्ल निर्णय' के विरोध में सत्याग्रह किया। दक्षिण अफ्रीका की अधिवासी भारतीय महिलाओं अथवा संघ में निवास करने वाली अधिकारियों को अपने पतियों के साथ प्रवेश करने की अनुमति नहीं थी, जिसका विरोध महिला संघ ने किया। उनके अनुसार उक्त निर्णय से भारतीय नारियों के सम्मान को आघात लगा है। इसलिये समिति ने सम्मानपूर्ण विश्वास किया कि सरकार कानून में ऐसा संशोधन कर देगी, जिससे भारतीय धार्मिक, रीति-रिवाज के अनुसार किये गये भारतीय विवाह, जो भारत में वैध माने जाते हैं, यहाँ वैध मान्य कर लिये जायेंगे। समिति द्वारा सरकार को यह भी सूचित किया गया कि संघ की सदस्यताओं की भावना इस बारे में इतनी तीव्र है कि यदि सरकार इस प्रार्थना को स्वीकार करने में असमर्थ होगी तो 'सर्ल निर्णय' द्वारा किये गये अपमान को सहन करने की अपेक्षा सत्याग्रह करेगी और अपने समाज के पुरुषों के साथ कैद भुगतेगी।

गाँधी जी ने दक्षिणी अफ्रीकी सरकार को आश्वस्त करते हुए कहा कि, “यदि मंत्री महोदय अब भी सर्व निर्णय से उत्पन्न शिकायत की आग्रह पूर्वक उपेक्षा करें तो अब यह जान-बूझकर किया गया कहलायेगा। वे विश्वास करें कि भारतीय स्त्रियाँ जेल जाने को लालायित नहीं हैं और न ही समाज के पुरुष अपनी स्त्रियों की जेल यात्रा की सम्भावना को शान्तिभाव से देखते हैं। इसलिये, यदि भारतीय महिलायें सत्याग्रह करें तो उनके मन में निश्चय ही कोई ऐसी शिकायत होनी चाहिये जो कम से कम उनकी निगाह में बहुत गम्भीर है। हम अपनी इन वीर बहनों को बधाई देते हैं, जिन्होंने सर्ल फैसले के अपमान को स्वीकार करने की अपेक्षा युद्ध करने का साहस किया है। यदि वे अन्त तक अपने निश्चय पर दृढ़ रहें तो अपना, अपनी जन्मभूमि और सच पूछिये

तो उस देश का भी जिसे उन्होंने अपनाया है, गौरव बढ़ायेंगी। (सम्पूर्ण गांधी वांगमय भाग 12 पृ063-64)

समय-समय पर स्त्रियाँ गाँधी जी से मार्गदर्शन प्राप्त करने हेतु प्रश्न किया करती थीं कि असहयोग आन्दोलनों में वे क्या मदद कर सकती हैं? तब गाँधी जी उन्हें कर्तव्यों के बारे में बताते थे। गाँधी के अनुसार, “जब तक इस कार्य में (असहयोग में) स्त्रियाँ पूरी तरह से सहयोग नहीं करतीं, तब तक स्वराज की आशा रखना व्यर्थ है। स्त्रियाँ इस बात को नहीं समझतीं अथवा स्वीकार नहीं करती कि राष्ट्र की स्वतन्त्रता को बनाये रखना, स्वतन्त्रता छिन गयी हो तो उसे प्राप्त करना उनका धर्म है। यदि स्त्रियाँ यह जानती होती कि इस व्यक्ति अर्थात् जनरल डायर के अत्याचार से मुक्ति प्राप्त करना जनता का सर्वोपरि कर्तव्य है तो वह अपने पतियों एवं पुत्रों को शूरता का पाठ पढ़ाती तथा उन्हें भीरुता का परित्याग करके स्वाभिमान की रक्षा के लिये सन्नद्ध करती। लेकिन आज तो इस देश की स्त्रियाँ राष्ट्र कल्याण की सच्ची बातों से अनभिज्ञ रहती हैं; इससे हमें उनसे कम मदद मिलती है। (वही भाग 18 पृ0342-344)

गाँधी जी भारतीय शास्त्रों का उदाहरण देते हुए महिलाओं को जागृत किया, जिसके परिणामस्वरूप तीन विशेष कार्य यथा- नमक सत्याग्रह, मद्य निषेध तथा स्वदेशी वस्त्रों का बहिष्कार मुख्यतया स्त्रियों के हाथ में थमाई। यद्यपि गाँधी ने असहयोग आन्दोलन की शुरुआत में महिलाओं के लिये अत्यन्त सीमित भूमिका को सामने रखा। असहयोग आन्दोलन में देश के भिन्न-भिन्न भागों में महिलाओं ने प्रदर्शनों में भाग लिया। खादी व चरखों को अपनाया गया, कतिपय महिलाओं ने विद्यालयों एवं महाविद्यालयों को छोड़ दिया। कांग्रेस द्वारा घोषित सत्याग्रह सप्ताह (अप्रैल 6-13, 1921) में राजनीति महिलाओं ने रुचि लेनी शुरु की तथा सभाओं में भाग लेकर अपना समर्थन दिया।

असहयोग आन्दोलन में न केवल हिन्दू महिलायें जुड़ीं, बल्कि मुस्लिम महिलायें धीरे-धीरे जुड़ रही थी। जैसे-जैसे यह आन्दोलन आगे बढ़ रहा था, वैसे-वैसे महिलाओं की सक्रियता बढ़ती जा रही थी। उनमें आत्मविश्वास बढ़ता जा रहा था। यद्यपि असहयोग आन्दोलन की अधिकांश महिलायें अभिजन व मध्यवर्गीय पृष्ठभूमि से थीं। किन्तु यह आन्दोलन स्त्री वर्ग के लिये महत्वपूर्ण था।

असहयोग आन्दोलन के पश्चात् महिला सम्बन्धी दृष्टिकोणों में परिवर्तन आया। इसी तरह गाँधी 'यंग इंडिया' में बराबर लिख रहे कि भारत में स्वराज की विजय में भारतीय पुरुषों का जितना हिस्सा होगा, महिलाओं का भी उतना ही होना चाहिये। बारदोली सत्याग्रह (1928) में महिलाओं की अभूतपूर्व सहभागिता देखने को मिली। साइमन कमीशन के विरोध में तथा 1929 में पूर्ण स्वराज की घोषणा के साथ ही नारी अवज्ञा आन्दोलन छेड़ने की तैयारी प्रारम्भ हो गयी थी। 1930 में नमक सत्याग्रह आन्दोलन (दांडी

मार्च) तक गाँधी के अथक प्रयास से यह आन्दोलन भारत के जन-आन्दोलन का स्वरूप ग्रहण कर लिया, जिसमें शहरी एवं ग्रामीण दोनों क्षेत्र की महिलाओं ने सहभागिता किया। इस आन्दोलन में 17 हजार महिलाओं की गिरफ्तारी हुई, जो इसकी व्यापकता का परिचायक है।

महिलाओं की यह सहभागिता भारतीय समाज में परिवर्तन का संकेत थी। क्योंकि अब शिक्षित मध्यवर्गीय महिलायें ही नहीं, आम महिलायें आन्दोलनों में भाग ले रही थीं। राजनीतिक आन्दोलनों के साथ-साथ राजनीति में महिला सहभागिता बढ़ती जा रही थी। 1930 में दांडी में पुरुषों के साथ महिलाओं ने अपनी भूमिका निभाई। 1942 के आन्दोलन में पुरुष एवं महिलाओं ने कंध से कंधा मिलाकर संघर्ष किया। स्वतन्त्रता के करीब आते-आते ग्रामीण महिलाओं एवं शहरी महिलाओं की सहभागिता बढ़ती गयी।

निष्कर्ष

अस्तु, सत्याग्रह व अहिंसात्मक आन्दोलनों में गाँधी जी के नेतृत्व में 'स्त्री-शक्ति' का महत्वपूर्ण परिप्रेक्ष्य उभर कर सामने आता है। गाँधी ने तत्कालीन वातावरण के अनुसार राजनीति में तीन स्तरों पर महिलाओं की भूमिका के लिए आवश्यक मंच प्रदान किया वे तीन स्तर हैं : स्वराज प्राप्ति के लिए सत्याग्रह अहिंसात्मक असहयोग आन्दोलनसें में स्वदेशी अथवा खादी के प्रचार-प्रसार में तथा अन्ततः रामराज की स्थापना में। गाँधी के अनुसार स्वराज्य प्राप्त करने में पुरुषों के जितना ही भाग भारत की नारियों का भी होना चाहिये। सम्भवतः इस शान्तिपूर्ण संघर्ष में महिलायें पुरुषों को मीलों पीछे छोड़ सकती हैं। क्योंकि नारी जाति मूक तथा गम्भीर सहिष्णुता की प्रतीक है, जो सत्याग्रही की सर्वप्रथम पहचान है। अतः स्वराज्य की डोर बहनों के हाथ में है। सम्प्रति 21वीं सदी के वैश्विक दौर में महिलाओं के सशक्तीकरण, सहभागिता, सुरक्षा तथा विकास जैसे प्रश्न आज भी प्रासंगिक हैं, जिन्हें गाँधी-चिन्तनधारा से जीवनी-शक्ति प्राप्त हो रही है।

संदर्भ

- बन्दोपाध्याय,शेखर(2007) *पलासी से विभाजन तक* (हिन्दी संस्करण), दिल्ली, ओरियन्ट लॉगमैन
- Geraldine, Forbes (1996), 'Women in Modern India', *The New Cambridge History of India, Vol. 4.2*, Cambridge University Press
- Kishwar, Madhu (1985) "Gandhi on Women" *Economic and Political weekly*, 5 Oct., 1985, 20(40),
- सम्पूर्ण गाँधी वाङ्मय,, नई दिल्ली, प्रकाशन विभाग सूचना और प्रसारण मंत्रालय, भारत सरकार